[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग -II खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2020

अधिसूचना संख्या. 13/2020-सीमाशुल्क

सा.का.नि. (अ).-सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) (इसके पश्चात इसे अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया) कि धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार इस बात से सन्तुष्ट होकर की जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, एत्तद्वारा निम्नलिखित से प्रक्रिया की पुस्तिका के पैराग्राफ-4.9 तथा 4.96 के साथ पठित विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.01(ग) के अनुसार राज्य तथा केन्द्रीय करों की छूट हेतु स्कीम के अन्तर्गत (इसके पश्चात् इसे आरओएससीटीएल स्कीम के रूप में संदर्भित किया गया है) के अन्तर्गत क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा जारी शुल्क जमा स्क्रिप (इसके बाद इसे उक्त स्क्रिप के रूप में संदर्भित किया गया है) के विरूद्ध भारत में आयातित माल को छूट प्रदान करता है:-

(क) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (जिसे बाद में उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) के अन्तर्गत उस पर उदग्रहणीय सीमा शुल्क की पूरी डयूटी; तथा

(ख) उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1), (3) तथा (5) के अन्तर्गत उस पर उदग्रहणीय पूरा अतिरिक्त शुल्क:

बशर्ते कि उक्त स्कीम जिसके विरूद्ध भारत में आयातित माल को उपर्युक्त खण्ड (क) तथा (ख) में दिए गए शुल्कों से छूट प्रदान की जाती है, में प्रक्रिया की पुस्तिका के पैरा 4.95 तथा 4.96 की शर्तों के अनुसार अतिरिक्त तदर्थ प्रोत्साहन के अन्तर्गत प्रदत्त शुल्क क्रेडिट को शामिल कर सकता है।

2. यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, नामत:-

(1) यह कि उक्त स्क्रिप में शुल्क क्रेडिट जारी किया जाता है-

(क) वस्त्र मंत्रालय के दिनांक 8 मार्च, 2019 की अधिसूचना सं. 14/26/2016-आईटी (खण्ड-II) के तहत अधिसूचित अनुसूची 1,2,3 तथा 4 में यथा सूचीबद्ध उनके संबंधित दरों और सीमाओं तथा आरओएससीटीएल स्कीम के लिए परिधानों तथा मेड-अप (जिसे बाद में उक्त माल के रूप में संदर्भित किया गया है) के निर्यात के विरूद्ध किया गया है।

बशर्ते कि अतिरिक्त तदर्थ प्रोत्साहन के अन्तर्गत शुल्क क्रेडिट प्रक्रिया की पुस्तिका के पैराग्राफ 4.95 तथा 4.96 की शर्तों के अनुसार जारी किया जाता है।

(ख) विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 3.05 के प्रावधानों के अनुसार किए गए उक्त माल के निर्यात के विरूद्ध;

(ग) आरओसीटीएल स्कीम के अन्तर्गत माल के विरूद्ध जहां इस अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत निर्यात हेतु माल की निकासी तथा लदान की अनुमति देने का आदेश तारीख 07/03/2019 से 31/03/2020 तक किया गया है;

बशर्ते कि अतिरिक्त तदर्थ प्रोत्साहन के मामले में इस अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत निर्यात हेतु माल की निकासी तथा लदान की अनुमति देने का आदेश तारीख 07/03/2019 से 31/03/2020 तक किया गया है;

(2) यह कि इसके साथ अनुबद्ध सारणी में सूचीबद्ध श्रेणीयों अथवा क्षेत्रों के निर्यात को निर्यात निष्पादन की गणना अथवा आरओएससीटीएल स्कीम के अन्तर्गत पात्रता की संगणना के लिए गिना नहीं जाएगा;

(3) यह कि आयात तथा निर्यात पत्तनों तथा वायु पत्तनों अथवा अंतर्देशीय कंटेनर डिपो के माध्यम से अथवा यथा संशोधित दिनांक 01.04.2015 की अधिसूचना सं. 16/15 के अनुबद्ध श्रेणी 2 में यथा उल्लेखित भू-सीमा शुल्क केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है;

बशर्ते कि प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त अथवा सीमा शुल्क आयुक्त, जैसा भी हो, क्षेत्राधिकारी के अन्तर्गत विशेष आदेश द्वारा, अथवा सार्वजनिक सूचना द्वारा अथवा उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली ऐसी शर्तों के अधीन अपने क्षेत्राधिकार के भीतर किसी अन्य पत्तन, वायु पत्तन, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो के माध्यम से अथवा किसी भू-सीमा शुल्क के माध्यम से आयात तथा निर्यात की अनुमति दे सकता है;

बशर्ते यह भी कि परिशिष्ट की परिशिष्ट 3ग में सूचीबद्ध मदों तथा विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के आयात-निर्यात प्रपत्रों के अधीन ई-कॉमर्स मंच के जरिये संव्यवहार किए गए उक्त माल का निर्यात केन्द्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित अन्तरराष्ट्रीय कूरियर टरमिलों अथवा ऐसे विदेशी डाकघरों के माध्यम से किया जाता है;

(4) यह कि उक्त स्क्रिप, उक्त स्क्रिप पर विनिर्दिष्ट पंजीयन के पत्तन पर सीमा शुल्क प्राधिकारी के यहाँ पंजीकृत है;

(5) यह कि उक्त स्क्रिप माल पर उदग्रहणीय शुल्क के डेविट के लिए निकासी के समय सीमा शुल्क के उचित अधिकारी के समक्ष उक्त स्क्रिप प्रस्तुत की जाएगी तथा सीमा शुल्क का उचित अधिकारी इस छूट के अन्तर्गत पहले किए गए डेविट तथा अधिसूचना संख्या 1/2020-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 14 फरवरी, 2020 के अन्तर्गत किए गए डेविटों को ध्यान में रखते हुए माल पर उदग्रहणीय शुल्क का डेविट सुनिश्चित करेगा किन्तु इस छूट के लिए;

(6) यह कि उक्त स्क्रिप तथा वस्तु जोकि इसके अंतर्गत आयत की गई है वह स्वतंत्र रूप में अन्तरणीय होगा;

(7) यह कि जहां आयातक उक्त सीमा शुल्क टेरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1), (3) तथा (5) के अन्तर्गत उदग्रहणीय सीमाशुल्क की अतिरिक्त शुल्क से छूट का दावा नहीं करता है, तो उसे सीमा शुल्क के उक्त अतिरिक्त डयूटी की संगणना के प्रयोजनार्थ उक्त डयूटी से छूट का लाभ नहीं लेने वाला माना जाएगा;

(8) यह कि आयातक उक्त स्क्रिप में डेविट की गयी राशि के विरूद्ध उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अन्तर्गत उदग्रहणीय सीमा शुल्क की डयूटी की प्रतिअदायगी का लाभ लेने का पात्र होगा;

(9) यह कि आयातक उक्त स्क्रिप में डेविट की गयी राशि के विरूद्ध सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा(1), (3) तथा (5) उदग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क के सेनवेट क्रेडिट अथवा प्रतिअदायगी लेने का पात्र होगा;

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना में -

(i) "पूंजीगत माल" का अभिप्राय वही होगा जो इसके लिए विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.08 में दिया गया है;

(ii) "विदेश व्यापार नीति" से अभिप्राय विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 से है जिसे भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 01/2015-2020, दिनांक 1 अप्रैल 2015 के द्वारा प्रकाशित किया गया है और समय-समय पर संशोधित किया गया है;

(iii) "माल" से अभिप्राय पूंजीगत माल में निहित आगत या माल से है;

(iv) "गारमेंटस" और "मेडअपस" से अभिप्राय वहीं होगा जो इसके लिए वस्त्र मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 14/26/2016-आईटी (Vol.II), दिनांक 7 मार्च 2019, जिसके द्वारा स्कीम फॉर रिवेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेविस ऑन एक्स्पोर्ट ऑफ गार्मेंटस एंड मेड-अपस को अधिसूचित किया गया था में दिया गया है।

(vi) "क्षेत्रीय प्राधिकारी" का आशय विदेश व्यापार (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 6 के अन्तर्गत नियुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार अथवा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत शुल्क जमा स्क्रिप सहित प्राधिकार प्रदान करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी से है।

सारणी

निर्यात श्रेणियां अथवा क्षेत्र जो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप पात्रता के लिए अर्हक नहीं है	
(i)	सीमाशुल्क अधिनियम 1952 की धारा 65 के अंतर्गत किसी गोदाम में आंशिक तौर पर अथवा पूरी तरह से विनिर्मित;
(ii)	संगत विदेश व्यापार नीति की ड्यूटी छूट स्कीम के अंतर्गत जारी अग्रिम प्राधिकारी अथवा ड्यूटी मुक्त आयात प्राधिकारी दायित्वों के निर्वहण के लिए निर्यातित अथवा विनिर्मित बशर्ते कि जहॉ निर्यात दिनांक 13 अगस्त 2017 की अधिसूचना संख्या 45/2017-सीमाशुल्क शर्तों के अनुसार निर्यात दायित्वों के निर्वहण के लिए विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैराग्राफ 4.04क के अंतर्गत जारी विशेष अग्रिम प्राधिकार के विरुद्ध किया जाता है, वस्त्र मंत्रालय की दिनांक 8 मार्च 2019 की अधिसूचना सं. 14/26/2017-आईटी की अनुसूची 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट आरओएससीटीएल की दरें लागू होंगी;
(iii)	संगत विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के अनुसार शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख यूनिट के रूप में लाइससेंस शुदा यूनिट द्वारा विनिर्मित अथवा निर्यातित;
(iv)	मुक्त व्यापार जोन अथवा निर्यात प्रोसेसिंग जोन अथवा विशेष आर्थिक जोनों में स्थापित यूनिटों में किसी किसी भी यूनिट द्वारा विनिर्मित अथवा निर्यातित;
(v)	1 अप्रैल 1997 की अधिसूचना सं. 32/1997 सीमाशुल्क का लाभ लेते हुए विनिर्मित अथवा निर्यातित

(फा.सं. 605/04/2020-डीबेके)

(गोपाल कृष्ण झा)
निदेशक (प्रतिअदायगी)